न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती अनिता धेतरवाल आर.ए.एस.

न. मु. 47/2023

1 रामेश्वरलाल पुत्र मोहन राम जाति मेघवाल निवासी गोदिया बालाजी के पास, हरीनगर तहसील बीदासर जिला चूरू 6081 3726 7682

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति

उपस्थित

1 प्रार्थी स्वयं

2 पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :–20/02/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति का पेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम हरिनगर में खेत खसरा नम्बर 2109/1127 हैक्टेयर रकबा 1.6314 हैक्टेयर मुझ खातेदार रामेश्वर लाल पुत्र मोहन राम की खातेदारी का है जो राजस्व रेकार्ड में रामेश्वर पुत्र मोहनराम के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। मेरे समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन आवेदन, बैंक पासबुक में मेरा नाम रामेश्वर लाल पुत्र मोहन राम दर्ज है। मै प्रार्थी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा में अपना रामेश्वर लाल पुत्र मोहन राम शुद्ध करवाना चाहता हूँ उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पति है प्रार्थी उक्त खाता खसरा का रेकार्डेड खातेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 2109/1127 रोही हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार कृषक है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर 2109/1127 रोही हरिनगर में स्थित है जिसका श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैराकार राज. ने प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में शुद्ध करने की अनुंशषा की है।

लगातार....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही हरिनगर के खेत खसरा नम्बर 2109/1127 रकबा 1.6314 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार रामेश्वर पुत्र मोहनराम शुद्ध किया जाकर रामेश्वर लाल पुत्र मोहन राम जाति ~~जाट~~ मेघवाल दर्ज किये जावे। बैंक इन्द्राज यथावत रहेगा। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20–2–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner